रजिस्ट्रेशन संख्या 53/2004–05

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

"संगम" सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26, एनआईआर सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

अध्यक्ष	मुख्य संरक्षक	संरक्षक	महासचिव
राजेन्द्र प्रसाद विजय	लल्लू लाल गुप्ता	नन्दकिशोर विजय	शिवकुमार विजयवर्गीय
(नारायणपुर निवासी)	(से.नि.बैंक अधिकारी)	(बसवा निवासी)	(बुटेरी निवासी)
मोबा. 9829619664	मोबा. 9610780551	मोबा. 9414049196	मोबा. 9829472662

ईमेलःrpvijay0515@gmail.com

सलाहकार मण्डल

श्री विशम्भरदयाल विजय पूर्व अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय Rtd.IAS & Ex.CS Chhattisgarh
श्री एस.के.विजय Rtd.IAS
श्री राधेश्याम गुप्ता, Rtd.Judge
श्री जे.पी.गुप्ता, Rtd.IRS
श्री राजेन्द्र विजय RAS
श्री रामस्वरूप विजय–ईटका Rtd.
श्री सुधीरकुमार पंचोली,Rtd.Dir.
श्री मुकेश विजय XEN
श्री उमानन्द विजय Asst.Dir

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्रीमती आशा विजय
डॉ. चांदमल विजय
सुभाष विजय

उपाध्यक्ष
सत्यनारायण विजय
अखिलेश विजय
दिनेश विजय
महेश कुमार विजय
नरेन्द्र कुमार विजय

संयुक्त महासचिव एवं प्रवक्ता
गिरधर विजय

कोषाध्यक्ष
नरेन्द्र बाबू विजय

विकास कार्यक्रम मन्त्री
लोकेश विजय

सह–विकास कार्यक्रम मन्त्री
गोपाल विजय

विधि मंत्री
अजय विजय

सह–विधि मंत्री
सतीश कुमार विजय

योजना मंत्री
नरेन्द्र कुमार गुप्ता

सह–योजना मंत्री
महेन्द्र कुमार विजय

कार्यालय मंत्री
हरिराम विजय

कार्यक्रम कियान्वयन मंत्री
रतनलाल विजय

सह–कार्यक्रम कियान्वयन मंत्री
देवेन्द्र कुमार विजय

महिला कल्याण मंत्री
श्रीमती कुसुम विजय

प्रचार मंत्री
सतीश कुमार विजय

सांस्कृतिक मंत्री
श्रीमती सुमन विजय

सह–सांस्कृतिक मंत्री
सुरेन्द्र कुमार विजय

संगठन मंत्री
अशोक कुमार विजय
रामगोपाल विजय
सेवाराम विजय
आनन्द विजयवर्गीय
मनोज विजय
अशोक कुमार विजय
दिनेश कुमार विजय

क्रमांक 2021 दिनांक 20 फरवरी,2021

समस्त सदस्यगण,
विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद,
जयपुर

विषयः– परिषद की आम सभा की सूचना ।
महोदय,

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर की आगामी आम–सभा रविवार दिनांक 4 अप्रैल, 2021 को प्रातः 11.00 बजे परिषद कार्यालय संगम भवन, विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर 26 पानी की टंकी के पास, एनआईआईसर्किल, प्रतापनगर, जयपुर पर आयोजित की गई है जिसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है । आम–सभा में विचारणीय बिन्दु एजेन्डा निम्न प्रकार से होगा :–

1– पिछली आम सभा के कार्यवाही विवरण की पुष्टि ।
2– संगम उप–विधान में संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि।
3– हितकारी कोष न्यास विधान में संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि ।
4– वर्ष 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 के आडिटेड लेखो की पुष्टि।
5–परिषद के वर्ष 2013 से पूर्व की मूल बेलेन्स सीट को रखते हुये अन्य समस्त दस्तावेजों को नष्ट करने की पुष्टि।
6 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

आपकी सुविधा के लिये आमसभा के उक्त विचारणीय बिन्दुओं की विस्तृत जानकारी की पीडीएफ (PDF) फाईल तैयार कर आपके वाटशप मोबाईल नंम्बरों पर पृथक से भिजवाई जायेगी ताकि आप उसका समय पूर्व अवलोकन कर सकें।
यदि आप वाटशप मोबाईल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया अवगत कराये ताकि यह जानकारी आपको समय पर उपलब्ध कराई जा सके ।

कृपया आप सभा में पधारने का कष्ट करें ।

भवदीय,

शिवकुमार

(शिव कुमार विजय)
महासचिव

रजिस्ट्रेशन संख्या 53/2004–05

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

"संगम" सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26, एनआईआर सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

अध्यक्ष
राजेन्द्र प्रसाद विजय
(नारायणपुर निवासी)
मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

मुख्य संरक्षक
तल्लू लाल गुप्ता
(से.नि.बैंक अधिकारी)
मोबा. 9610780551

संरक्षक
नन्दकिशोर विजय
(बसवा निवासी)
मोबा. 9414049196

महासचिव
शिवकुमार विजयवर्गीय
(बुटेरी निवासी)
मोबा. 9829472662

सलाहकार मण्डल

श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय Rtd.IAS & Ex.CS Chhattisgarh
श्री एस.के.विजय Rtd.IAS
श्री रामेश्याम गुप्ता Rtd.Judge
श्री पी.पी.गुप्ता Rtd.IRS
श्री राजेन्द्र विजय RAS
श्री किशनदयाल विजय पूर्व अध्यक्ष
श्री रामलाल विजय, Rtd.Bank Officer
श्री रामस्वरूप विजय–ईटका Rtd.
श्री सुभाष विजय Rtd.Dy. Dir.
श्री अनिल विजय XEN
श्री मुकेश विजय XEN

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्रीमती आशा विजय
डॉ. चांदमल विजय
उपाध्यक्ष
दयाशंकर विजय
अखिलेश विजय
योजना मंत्री
ओमप्रकाश विजय
संयुक्त महासचिव एवं प्रवक्ता
दिनेश विजय
कोषाध्यक्ष
नरेन्द्र बाबू विजय
विकास कार्यक्रम मंत्री
लोकेश विजय
कार्यालय मंत्री
कैलाश विजय
विधि मंत्री
विजय कुमार विजय
प्रचार मंत्री
राजेश विजय
सांस्कृतिक मंत्री एवं प्रवक्ता
गिरधर विजय
महिला कल्याण मंत्री
श्रीमती कुसुम विजय
संगठन मंत्री
देवेन्द्र कुमार विजय
बजरंगलाल गुप्ता
लाडली लाल विजय
सतीश कुमार विजय

दिनांक 29 अक्टूबर,2017 को आयोजित आम सभा का कार्यवाही विवरण

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद की आम सभा रविवार, दिनांक 29–10–2017 को अपरान्ह 2.00 बजे "संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26 प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर पर परिषद के संरक्षक श्री नन्दकिशोर विजय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई आम सभा बैठक का कार्यवाही विवरण।

आम सभा की कार्यवाही नियत समय 2.00 बजे आरम्भ की गई किन्तु आमसभा का कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में इस आम सभा को संरक्षक श्री नन्दकिशोर विजय महोदय की अनुमति से आधा घंटा स्थगित कर पुनः आमसभा प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गई । अनुमति उपरान्त आमसभा की कार्यवाही पुनः 2.30 बजे आरम्भ हुई ।

परिषद महासचिव श्री शिव कुमार विजय द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये आम सभा के एजेन्डा बिन्दु निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया :–

1–पिछली आम सभा के कार्यवाही की पुष्टि ।
2–वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 के खातों की पुष्टि ।
3–दिनांक 20–11–2016 को सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 4– परिषद को आवंटित भूमि पर निर्माण प्रारम्भ कराने पर चर्चा क–परिषद सदस्यों एवं समाज के भामाशाओं से निर्माण निमित्त सहयोग राशि एकत्रित करने की कार्य योजना की पुष्टि ।
4–अन्य विषय मुख्य संरक्षक जी की अनुमति से ।

उक्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये :–

1–पिछली आम सभा के कार्यवाही विवरण की पुष्टि:

परिषद महासचिव द्वारा दिनांक 23 मई,2015 को हुई परिषद आम सभा के कार्यवाही विवरण को पढकर सुनाया तथा इसका अनुमोदन चाहा। तत्पश्चात इसका अनुमोदन किया गया।

2–परिषद के वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 के लेखों का अनुमोदन:

परिषद महासचिव द्वारा परिषद के वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ओडिटेड लेखों की प्रति उपस्थित परिषद सदस्यों को उपलब्ध कराई गई । विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात तीनों वर्षों के लेखों की पुष्टि की गई ।

3– दिनांक 20–11–2016 को सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 4 का अनुमोदन:

परिषद महासचिव द्वारा परिषद कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 20–11–2016 को सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव संख्या 4 जो कि निम्न प्रकार है, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया:–

अ– परिषद को आवंटित भूमि पर निर्माण के निमित्त राजसेवक परिषद के प्रत्येक सदस्य (सेवानिवृत्त सहित) से 11000/– रूपये की सहयोग राशि ली जावे।

ब– क– निर्माण के प्रथम फेज एवं निर्माण पूर्ण होने तक दिनांक 14 सितम्बर,2014 को सम्पन्न आम सभा में "संगम संचालन समिति" के अनुमोदित विधान की धारा 5–"सदस्य" में परिषद सदस्यों हेतु अंकित पूर्व में निर्धारित प्रथम श्रेणी के स्थाई सदस्यों हेतु न्यूनतम 1लाख, द्वितीय श्रेणी के स्थाई सदस्यों हेतु न्यूनतम 51 हजार की राशि ही एवं तृतीय श्रेणी के सदस्यों हेतु न्यूनतम 11 हजार रूपये की राशि प्राप्त की जाये।

ख– विधान की धारा 6–"संरक्षक मण्डल" के अन्तर्गत विजयवर्गीय समाज के अनुदानताओं को संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य हेतु पूर्व में निर्धारित न्यूनतम 5 लाख रूपये की राशि ही रखी जाये ।

'ग'–"संगम" विधान की धारा 13–"विजयवर्गीय समाज के अनुदानदाताओं को विशेष सुविधा" में अंकित बिन्दू 1 में अंकित राशि 21 हजार के स्थान पर 5100/– रूपये की राशि निर्धारित करने एवं बिन्दू 2 के "घ" को विलोपित किया जाये।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया ।

रजिस्ट्रेशन संख्या 53/2004–05

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

"संगम" सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26, एनआईआर सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

अध्यक्ष
राजेन्द्र प्रसाद विजय
(नारायणपुर निवासी)
मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

मुख्य संरक्षक
लल्लू लाल गुप्ता
(से.नि.बैंक अधिकारी)
मोबा. 9610780551

संरक्षक
नन्दकिशोर विजय
(बसवा निवासी)
मोबा. 9414049196

महासचिव
शिवकुमार विजयवर्गीय
(बुटेरी निवासी)
मोबा. 9829472662

4–अन्य विषय संरक्षक जी की अनुमति से

क– "संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन के आय–व्यय का लेखा जोखा:
इस बिन्दु पर परिषद महासचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों को विस्तार से अवगत कराते हुये भूमि आवंटन से लेकर आदिनांक 29–10–2017 तक हुये खर्च एवं परिषद सदस्यों तथा समाज बन्धुओं से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार –

1–प्राप्त राशि एवं बकाया राशि का विवरण

विवरण	घोषित राशि	प्राप्त राशि	प्राप्त होने योग्य राशि
समाज बन्धुओं से	14473311	9638211	4835100
राजसेवक परिषद सदस्यों से	6880469	6323469	557000
कुल राशि	21353780	15961680	5392100

2–शेष राशि 29–10–2017

प्राप्त राशि	खर्चा	बैंक में जमा शेष राशि	नकद राशि	कुल जमा राशि
15961680	15187306	774374	13845	788219

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तुत भूमि आवंटन एवं निर्माण पेटे अब तक हुये आय–व्यय विवरण पर संतोष व्यक्त किया गया ।

ग–बकाया राशि का अपलेखन:
वर्ष 2016–17 की बैलेन्स शीट में अंकित एडवान्स टू कॉलोनाईजर (फोर लेण्ड) के पेटे 12000/– की बकाया राशि का अपलेखन करने का निर्णय लिया गया ।

ख– "श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष" का प्रतिवेदन:
राजसेवक परिषद के माध्यम से संचालित उक्त सर्वजन हितकारी स्थाई कोष का प्रगति प्रतिवेदन परिषद महासचिव द्वारा प्रस्तत करते हुये अवगत कराया गया कि इस कोष की स्थापना से अब तक 3 को आर्थिक सहायता एवं 9 को तीन वर्ष के लिये 1000/– रूप्ये प्रतिमाह विधवा पेंशन प्रदान की गई है तथा 5 प्रकरण अभी विचाराधीन है।
इस कोष के प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा उपरान्त प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया ।

विशेष धन्यवाद प्रस्ताव:
"संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र भूमि आवंटन में विशेष मदद करने पर आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय–इन्दौर का धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

धन्यवाद प्रस्ताव:
परिषद महासचिव श्री शिवकुमार विजय द्वारा उपस्थित महानुभावों का आम सभा में भाग लेने पर धन्यवा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये आम सभा की बैठक सम्पन्न करने की घोषणा की गई । इसके पश्चात सभी व अल्पाहार पेश किया गया तथा सभी के द्वारा निर्माणाधीन "संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र व निरीक्षण करते हुये निर्माण की निरन्तरता एवं गुणवत्ता की प्रशंसा की ।

महासचिव

अनुमोदनार्थ
अध्यक्ष/संरक्षक

"संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन का
दिनांक 22.09.2019 को परिषद कार्यकारिणी में लिये सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार संशोधित विधान में संशोधन के प्रस्ताव

	मद	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन के साथ
1.	नाम	आवंटित भूमि का नामकरण "संगम" होगा।	<u>यथावत – अर्थात</u> आवंटित भूमि का नामकरण "संगम" होगा।
2.	कार्यालय	कार्यालय आवंटित भूमि स्थल सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर पर रहेगा।	<u>यथावत – अर्थात</u> कार्यालय आवंटित भूमि स्थल सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर पर रहेगा।
3.	स्वामित्व	आवंटित भूमि का स्वामित्व विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।	<u>यथावत – अर्थात</u> आवंटित भूमि का स्वामित्व विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
4.	भूमि का उपयोग	भूमि का उपयोग– क–राजसेवक परिषद एवं विजयवर्गीय समाज के समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा– सांस्कृतिक, सेमीनार, विभिन्न सभायें, शादी समारोह आदि हेतु ख–भूमि पर छात्रावास हेतु कमरों का निर्माण कराया जाकर स्थानीय/जिला/प्रदेश/देश से जयपुर में शिक्षा ग्रहण हेतु आने वाले विजयवर्गीय छात्रों के उपयोग हेतु। ग–उपरोक्त उद्देश्यों के अन्तर्गत निर्धारित दर पर अन्य संस्थाओं/**व्यक्तियों** द्वारा भी उपयोग किया जा सकेगा।	<u>यथावत – अर्थात</u> क–राजसेवक परिषद एवं विजयवर्गीय समाज के समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा– सांस्कृतिक, सेमीनार, विभिन्न सभायें, शादी समारोह आदि हेतु ख–भूमि पर छात्रावास हेतु कमरों का निर्माण कराया जाकर स्थानीय/जिला/प्रदेश/देश से जयपुर में शिक्षा ग्रहण हेतु आने वाले विजयवर्गीय छात्रों के उपयोग हेतु। ग–उपरोक्त उद्देश्यों के अन्तर्गत निर्धारित दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग किया जा सकेगा।
5.	सदस्य	<u>क– प्रथम श्रेणी</u> –राजसेवक परिषद के कार्यरत/सेवानिवृत्त सदस्य जिसने 1 लाख रूपये या इससे अधिक का अनुदान दिया हो, प्रथम श्रेणी के "संगम" के स्थाई सदस्य कहलायेंगे। <u>ख– द्वितीय श्रेणी</u> –राजसेवक परिषद के कार्यरत/सेवानिवृत्त सदस्य जिसने 51 हजार या इससे अधिक किन्तु 1 लाख रूपये से कम का अनुदान दिया हो, द्वितीय श्रेणी के "संगम" के स्थाई सदस्य कहलायेंगे। <u>ग–तृतीय श्रेणी</u> राजसेवक परिषद के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सदस्य जिसने न्यूनतम 11000 हजार रूपये या अधिक किन्तु 51 हजार से कम का अनुदान दिया हो तृतीय श्रेणी के "संगम" के स्थाई सदस्य कहलायेंगे । –उपरोक्त क, ख की श्रेणी के किसी सदस्य द्वारा अपने परिवार के एक सदस्य को नामित करने पर अथवा उस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का एक सदस्य उसी श्रेणी का स्थाई सदस्य कहलायेगा। इसके लिये परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा। –क एवं ख श्रेणी के स्थाई सदस्यता हेतु पात्रता के लिये निर्धारित अनुदान की उपरोक्त राशि प्रथम फेज का निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि के लिये मान्य होगा। इसके पश्चात 1लाख रूपये के स्थान पर–2लाख 51 हजार एवं 51 हजार रूपये के स्थान पर–1 लाख 51 हजार की राशि परिषद को जमा कराये जाने पर ही वह उस श्रेणी के स्थाई सदस्य बन सकेगा।	<u>संशोधन</u> <u>1–मद में सदस्य के स्थान पर "संगम सदस्य" अंकित किया जाये</u> <u>2–जहॉ–जहॉ स्थाई शब्द अंकित है उसे विलोपित किया जाये अर्थात–</u> <u>क– प्रथम श्रेणी</u> –राजसेवक परिषद के कार्यरत/सेवानिवृत्त सदस्य जिसने 1 लाख रूपये या इससे अधिक का अनुदान दिया हो, प्रथम श्रेणी के "संगम" के सदस्य कहलायेंगे। <u>ख– द्वितीय श्रेणी</u> –राजसेवक परिषद के कार्यरत/सेवानिवृत्त सदस्य जिसने 51 हजार या इससे अधिक किन्तु 1 लाख रूपये से कम का अनुदान दिया हो, द्वितीय श्रेणी के "संगम" के सदस्य कहलायेंगे। <u>ग–तृतीय श्रेणी</u> राजसेवक परिषद के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सदस्य जिसने न्यूनतम 11000 हजार रूपये या अधिक किन्तु 51 हजार से कम का अनुदान दिया हो तृतीय श्रेणी के "संगम" के सदस्य कहलायेंगे । –उपरोक्त क, ख की श्रेणी के किसी सदस्य द्वारा अपने परिवार के एक सदस्य को नामित करने पर अथवा उस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का एक सदस्य उसी श्रेणी का सदस्य कहलायेगा। इसके लिये परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा। –क एवं ख श्रेणी के सदस्यता हेतु पात्रता के लिये निर्धारित अनुदान की उपरोक्त राशि प्रथम फेज का निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि के लिये मान्य होगा। इसके पश्चात 1लाख रूपये के स्थान पर–2लाख 51 हजार एवं 51 हजार रूपये के स्थान पर–1 लाख 51 हजार की राशि परिषद को जमा कराये जाने पर ही वह उस श्रेणी के सदस्य बन सकेगा।

		–अनुदानदाता सदस्य द्वारा एक श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर लेने के बाद उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकेगा। उसकी निर्धारित राशि में से पूर्व में दी गई राशि को समायोजित करते हुए निर्धारित समय सीमा में शेष राशि अनुदान में देकर उस श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।	–अनुदानदाता सदस्य द्वारा एक श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर लेने के बाद उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकेगा। उसकी निर्धारित राशि में से पूर्व में दी गई राशि को समायोजित करते हुए निर्धारित समय सीमा में शेष राशि अनुदान में देकर उस श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
6.	संरक्षक मण्डल	क–प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के **स्थाई सदस्य** संगम के संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे। ख–इसके अतिरिक्त विजयवर्गीय समाज के ऐसे अनुदानदाता जो 5 लाख या इससे अधिक का अनुदान देते है, भी संरक्षक मण्डल के **स्थाई सदस्य** होंगे। ग–इस श्रेणी के अनुदानदाताओं के लिये ''संगम'' के सरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य बनने के लिये राशि 5 लाख अनुदान देने की समय सीमा प्रथम फेज का निर्माण पूर्ण होने तक रहेगी उसके पश्चात् 7 लाख का अनुदान देने पर वह संरक्षक मण्डल का सदस्य बन सकेगा।	**संशोधन अर्थात–** क–प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के **संगम सदस्य** संरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य होंगे। ख–इसके अतिरिक्त विजयवर्गीय समाज के ऐसे अनुदानदाता जो 5 लाख या इससे अधिक का अनुदान देते है, भी संरक्षक मण्डल के **संगम सदस्य** होंगे। इस श्रेणी के अनुदानदाताओं के लिये ''संगम'' के सरक्षक मण्डल के स्थाई सदस्य बनने के लिये राशि 5 लाख अनुदान देने की समय सीमा प्रथम फेज का निर्माण पूर्ण होने तक रहेगी उसके पश्चात् 7 लाख का अनुदान देने पर वह संरक्षक मण्डल का सदस्य बन सकेगा। **ग– विलोपित**
7.	संचालन समिति का स्वरूप एवं निर्वाचन	''संगम'' के सुचारू संचालन हेतु ''संगम संचालन समिति'' का स्वरूप निम्नानुसार होगा– 1–संयोजक –1पद 2–सह–संयोजक –2पद 3–मंत्री –1पद 4–कोषाध्यक्ष –1पद 5–कार्यालयमंत्री –1पद 6–सदस्यगण –4पद 1– ''संगम संचालन समिति'' का संयोजक विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष ही होगा। 2– ''संगम संचालन समिति'' के सह–संयोजक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष पदों का निर्वाचन संरक्षक मण्डल के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सदस्यों में से होगा। 3– ''संगम संचालन समिति'' के शेष पदों का निवार्चन सभी श्रेणी के संगम सदस्यों में से किया जावेगा।	**<u>संशोधन – अर्थात</u>** **<u>7–मद में संचालन समिति के स्थान पर ''संगम'' संचालन समिति का स्वरूप एवं निर्वाचन</u>** ''संगम'' के सुचारू संचालन हेतु ''संगम संचालन समिति'' का स्वरूप निम्नानुसार होगा– 1–संयोजक –1पद 2–सह–संयोजक –2पद 3–मंत्री –1पद 4–कोषाध्यक्ष –1पद 5–सदस्यगण –8पद 1– ''संगम संचालन समिति'' का संयोजक विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष ही होगा। 2– ''संगम संचालन समिति'' के सह–संयोजक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष पदों का निर्वाचन संगम सदस्य के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सदस्यों में से होगा। 3– ''संगम संचालप समिति'' के दो सदस्य पदों पर विजयवर्गीय समाज के संरक्षक मण्डल के सदस्यों का मनोनयन निर्वाचित ''संगम संचालन समिति'' द्वारा किया जायेगा । 4– ''संगम संचालन समिति'' के शेष पदों का निवार्चन सभी श्रेणी के संगम सदस्यों में से किया जावेगा।
8.	मताधिकार	''संगम संचालन समिति'' के निर्वाचन हेतु ''संगम'' के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। समान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।	**संशोधन – अर्थात** ''संगम संचालन समिति'' के निर्वाचन हेतु **प्रत्येक ''संगम''** सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। समान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।
9.	कार्यकाल	''संगम'' संचालन समिति का कार्यकाल विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल के अनुरूप होगा। परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद तीन माह की अवधि में ''संगम संचालन समिति'' के चुनाव कराने आवश्यक होंगे। –''संगम'' के प्रथम फेज का निर्माण पूर्ण होने पर निर्वाचित ''संगम संचालन समिति'' अस्तित्व में आयेगी । इससे पूर्व अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा मनोनीत सदयों वाली ''संगम संचालन समिति'' कार्यरत रहेगी ।	**यथावत–अर्थात** ''संगम'' संचालन समिति का कार्यकाल विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल के अनुरूप होगा। परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद तीन माह की अवधि में ''संगम संचालन समिति'' के चुनाव कराने आवश्यक होंगे। –''संगम'' के प्रथम फेज का निर्माण पूर्ण होने पर निर्वाचित ''संगम संचालन समिति'' अस्तित्व में आयेगी । इससे पूर्व अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा मनोनीत सदयों वाली ''संगम संचालन समिति'' कार्यरत रहेगी ।
10.	निर्वाचन अधिकारी	''संगम संचालन समिति'' सदस्यो के निर्वाचन हेतु अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा **''संगम'' के संरक्षक मण्डल के सदस्यों** में से किसी एक सदस्य को निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा जो चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा।	**संशोधन – अर्थात** ''संगम संचालन समिति'' सदस्यो के निर्वाचन हेतु अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा संगम सदस्यों में से किसी एक सदस्य को निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा जो चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा।

(12/8/18)

11.	**स्थल उपयोग की प्राथमिकता**	"संगम" स्थल/भवन का आरक्षण (बुकिंग) उप–विधान की धारा 4 में अंकित कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम दिनांक से तीन माह पूर्व तक केवल विजयवर्गीय समाज बन्धुओं हेतु **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर किया जावेगा। उक्त अवधि के पश्चात समाज बन्धुओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिये भी आरक्षण (बुकिंग) भी किया जा सकेगा।	**संशोधन – अर्थात** 1–"संगम" स्थल/भवन का आरक्षण (बुकिंग) उप–विधान की धारा 4 में अंकित कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम दिनांक से तीन माह पूर्व तक केवल विजयवर्गीय समाज बन्धुओं हेतु **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर किया जावेगा। उक्त अवधि के पश्चात समाज बन्धुओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिये आरक्षण (बुकिंग) किया जा सकेगा। **2–इसमें परिवर्तन के लिये निर्वाचित "संगम संचालन समिति" अधिकृत होगी ।**
12.	**राजसेवक परिषद के अनुदानदाता सदस्यों को विशेष सुविधा**	1– "संगम" के सभी सदस्यों अथवा उनके परिवारजन का निर्माण स्थल पर नाम अंकित किया जावेगा। 2– "संगम" के प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी" के सभी सदस्यों को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क में 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। 3– "संगम" के सभी तृतीय श्रेणी के सदस्यों एवं विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के सदस्यों को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान होगा। 4–संरक्षक मण्डल के क व ख श्रेणी के सदस्यों द्वारा समाज बन्धुओं के लिये अनुशंसा करने पर निर्धारित शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। **5–उपरोक्त के अतिरिक्त विजयवर्गीय समाज बन्धुओं को निर्धारित शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।** **नोटः–उक्त छूट नगर निगम सफाई चार्जेज एवं विद्युत उपयोग खर्च पर लागू नहीं होगी।**	**संशोधन – अर्थात** 1– "संगम" के सभी सदस्यों अथवा उनके परिवारजन का निर्माण स्थल पर नाम अंकित किया जावेगा। 2– "संगम" के प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी" के सभी सदस्यों को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क में 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। 3– "संगम" के सभी तृतीय श्रेणी के सदस्यों एवं विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के सदस्यों को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान होगा। 4– संरक्षक मण्डल के क व ख श्रेणी के सदस्यों द्वारा समाज बन्धुओं के लिये अनुशंसा करने पर निर्धारित शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। **5– विलोपित** **नोटः–उक्त छूट नगर निगम सफाई चार्जेज एवं विद्युत उपयोग खर्च पर लागू नहीं होगी।**
13.	**विजयवर्गीय समाज के अनुदानदाताओं को विशेष सुविधा**	1–सभी अनुदानदाता जिनके द्वारा 5100 या इससे अधिक राशि अनुदान में दी जाती है, निर्माण स्थल पर उनका अथवा उनके परिवारजन का नामकरण किया जावेगा। 2–**5 लाख या इससे अधिक अनुदान राशि देने वाले अनुदानदाताओं को–** क–ऐसे अनुदानदाता **संचालन समिति के** संरक्षक मण्डल के सदस्य होंगे। ख–सभी ऐसे अनुदानदाताओं को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क में 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। ग–समाज बन्धुओं के उपयोग हेतु सिफारिश करने पर निर्धारित शुल्क में 40 प्रतिशत तक की छुट का प्रावधान। 3–**1लाख या इससे अधिक अनुदान किन्तु 5 लाख से कम राशि देने वाले अनुदानदाताओं को–** क–सभी ऐसे अनुदानदाताओं को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क का 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। **नोटः–उक्त छूट नगर निगम सफाई चार्जेज एवं विद्युत उपयोग खर्च पर लागू नहीं होगी।**	**संशोधन – अर्थात** 1–सभी अनुदानदाता जिनके द्वारा 5100 या इससे अधिक राशि अनुदान में दी जाती है, निर्माण स्थल पर उनका अथवा उनके परिवारजन का नामकरण किया जावेगा। 2– **5 लाख या इससे अधिक अनुदान राशि देने वाले अनुदानदाताओं को–** क–ऐसे अनुदानदाता **"संगम"** संरक्षक मण्डल के सदस्य होंगे। ख–सभी ऐसे अनुदानदाताओं को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क में 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। ग–समाज बन्धुओं के उपयोग हेतु सिफारिश करने पर निर्धारित शुल्क में 40 प्रतिशत तक की छुट का प्रावधान। 3– **1लाख या इससे अधिक अनुदान किन्तु 5 लाख से कम राशि देने वाले अनुदानदाताओं को–** क–सभी ऐसे अनुदानदाताओं को बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क का 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। **नोटः–उक्त छूट नगर निगम सफाई चार्जेज एवं विद्युत उपयोग खर्च पर लागू नहीं होगी।**
14.	**कोष का संधारण**	– कोष "संगम" विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के नाम से बैंक में संधारित किया जावेगा। – बैंक के खाते का "संगम संचालन समिति" के संयोजक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा इनमें से दो के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।	**संशोधन – अर्थात** – कोष "संगम" विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद **(संस्था)** के नाम से बैंक में संधारित किया जावेगा। – बैंक के खाते का **संचालन** "संगम संचालन समिति" के संयोजक, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा इनमें से दो के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
15.	**आडिट प्रावधान**	समिति के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार अंकेक्षण सानिधि (चार्टेड एकाउन्टेन्ट) से विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद कार्यकारिणी के माध्यम से कराया जाकर इसे **आम सभा** के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इसका वित्तीय वर्ष अप्रेल से शुरू होगा।	**संशोधन – अर्थात** **संगम** के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार अंकेक्षण सानिधि (चार्टेड एकाउन्टेन्ट) से विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद कार्यकारिणी के माध्यम से कराया जाकर इसे **परिषद** की आम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इसका वित्तीय वर्ष अप्रेल से शुरू होगा।

16.	**निर्वाचन**	"संगम संचालन समिति" का चुनाव विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के आगामी चुनाव के अधिकतम तीन माह में कराया जाावेगा।	विलोपित
17.	**संशोधन/परिवर्धन का अनुमोदन**	1– "संगम संचालन समिति" द्वारा शुल्क आदि के निर्धारण एवं परिवर्तन स्वीकृत करके अनुमोदन हेतु विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद को सूचित करेगी । परिषद कार्यकारिणी यदि उसमें संशोधन/परिवर्तन चाहती है तो वह अपने सुझाव सहित संचालन समिति को भेजेगी। संचालन समिति उस पर पुनः विचार करके परिषद कार्यकारिणी को अनुमोदन हेतु पुनः प्रेषित कर देगी जिसको कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करना होगा। 2– समय समय पर संचालन समिति हेतु बनाये गये नियमों/उप नियमों में होने वाले संशोधन/परिवर्तन को अंगीकार कर विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर की आमसभा को अनुमोदन हेतु भेजेगी।	**संशोधन – अर्थात** **1– "संगम संचालन समिति" द्वारा शुल्क आदि के निर्धारण एवं परिवर्तन अपने स्तर पर कर सकेगी जिसे विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद को सूचित करेगी ।** 2– समय समय पर संचालन समिति हेतु बनाये गये नियमों/उप नियमों में होने वाले संशोधन/परिवर्तन को अंगीकार कर विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर की आमसभा को अनुमोदन हेतु भेजेगी।
18.	**परिपत्र/आदेश**	संचालन समिति समय–समय पर आवश्यकतानुसार इन नियमों की पालना के लिए परिपत्र व आदेश जारी कर सकेगी जो सामुदायिक केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए लागू होगें। साथ ही परिपत्र व आदेश की प्रतियाँ विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को सूचनार्थ भेजी जायेगी।	**यथावत – अर्थात** संचालन समिति समय–समय पर आवश्यकतानुसार इन नियमों की पालना के लिए परिपत्र व आदेश जारी कर सकेगी जो सामुदायिक केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए लागू होगें। साथ ही परिपत्र व आदेश की प्रतियाँ विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को सूचनार्थ भेजी जायेगी।
19.	**अविश्वास प्रस्ताव**	क–संयोजक, संचालन समिति के विरूद्ध **संरक्षक मण्डल सदस्यों** द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रख सकेंगे। ख–अविश्वास प्रस्ताव 1/3 समिति सदस्यों के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय 2/3 मतों पर ही पारित होगा। ग– अगला अविश्वास प्रस्ताव 6 माह तक नहीं लाया जा सकेगा।	**संशोधन – अर्थात** **क–संयोजक के अतिरिक्त संगम संचालन समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध संगम सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रख सकेंगे।** ख–अविश्वास प्रस्ताव 1/3 संगम सदस्यों के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय 2/3 मतों पर ही पारित होगा। ग–अगला अविश्वास प्रस्ताव 6 माह तक नहीं लाया जा सकेगा।
20.	**त्याग–पत्र**	क– संयोजक, संचालन समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार कर **संरक्षक मण्डल** नये सदस्यों का मनोनयन कर सकेगा। ख– संयोजक का त्याग पत्र सरंक्षक मण्डल की सहमति से स्वीकार किया जावेगा।	**संशोधन – अर्थात** क– संयोजक, संगम संचालन समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार कर **नये सदस्यों** का मनोनयन कर सकेगा। ख–संयोजक का त्याग पत्र संगम सदस्यों की सहमति से स्वीकार किया जावेगा। **ऐसी स्थिति में संयोजक का कार्य वरिष्ठतम सह–संयोजक द्वारा संपादित किया जायेगा ।**
21.	**अनुशासनहीनता एवं उस पर कार्यवाही:**	क– **संचालन समिति** के प्रत्येक सदस्य को अनुशासनबद्ध रहना आवश्यक होगा। ख– प्रतिकूल आचरण करने अथवा आर्थिक या अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कार्य, गलत विचार, भाषण, पेम्पलेट एवं अन्य विघटनात्मक कार्य, संघीय राशि का गबन या दुरूपयोग अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। ग– किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के अनुशासनहीनता के कारण उसकी सदस्यता से निलम्बित/निष्कासन/पदमुक्त किया जा सकेगा। घ– निष्कासन का सम्पूर्ण अधिकार **संचालन समिति** की आम सहमति से पुष्टि प्राप्त कर, प्रस्ताव को संयोजक के पास अनुमोदन हेतु भिजवायेगा। इस पर संयोजक उसको सुनवाई का मौका यदि वे देना उचित समझे तो देकर पन्द्रह दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहेंगे तत्पश्चात (संयोजक) उसकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा करेंगे तब सदस्यता समाप्त समझी जावेगी। यदि संयोजक को निलम्बित सदस्य का स्पष्टीकरण संतोष जनक लगेगा तो वे उसका निलम्बन समाप्त घोषित कर देंगे और वह सदस्य अपने पूर्वानुसार पदधारित करता रहेगा।	**संशोधन – अर्थात** क– **संगम संचालन समिति** के प्रत्येक सदस्य को अनुशासनबद्ध रहना आवश्यक होगा। ख– प्रतिकूल आचरण करने अथवा आर्थिक या अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कार्य, गलत विचार, भाषण, पेम्पलेट एवं अन्य विघटनात्मक कार्य, संघीय राशि का गबन या दुरूपयोग अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। ग– किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के अनुशासनहीनता के कारण उसकी सदस्यता से निलम्बित/निष्कासन/पदमुक्त किया जा सकेगा। घ– निष्कासन का सम्पूर्ण अधिकार **संगम संचालन समिति** की आम सहमति से पुष्टि प्राप्त कर, प्रस्ताव को संयोजक के पास अनुमोदन हेतु भिजवायेगा। इस पर संयोजक उसको सुनवाई का मौका यदि वे देना उचित समझे तो देकर पन्द्रह दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहेंगे तत्पश्चात (संयोजक) उसकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा करेंगे तब सदस्यता समाप्त समझी जावेगी। यदि संयोजक को निलम्बित सदस्य का स्पष्टीकरण संतोष जनक लगेगा तो वे उसका निलम्बन समाप्त घोषित कर देंगे और वह सदस्य अपने पूर्वानुसार पदधारित करता रहेगा।

		ड– जिस सदस्य की संचालन समिति की बैठक में अनुसानिक कार्यवाही का मामला रखा जाता है और यदि वह उसमें उपस्थित है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अपने समर्थन में बोलने का मौका उसी बैठक में दिया जावेगा।	ड– जिस सदस्य की संगम संचालन समिति की बैठक में अनुसानिक कार्यवाही का मामला रखा जाता है और यदि वह उसमें उपस्थित है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अपने समर्थन में बोलने का मौका उसी बैठक में दिया जावेगा।
22.	**परिषद विधानान्तर्गत**	''संगम संचालन समिति'' विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के पंजीकृत विधान के अन्तर्गत कार्य करेगी।	**यथावत –अर्थात** ''संगम संचालन समिति'' विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के पंजीकृत विधान के अन्तर्गत कार्य करेगी।
23.	**न्यायिक क्षेत्र**	क– समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा। ख– **संचालन समिति** के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का हक नहीं होगा। यानि **समिति** के किसी भी कार्य/निर्णय को लेकर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि समिति के किसी सदस्य को समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय से शिकायत है या वह उससे सहमत नहीं हो तो वह इसके संबंध में संयोजक, से लिखित में इस निर्णय में परिवर्तन हेतु आग्रह कर सकेगा। संयोजक इसे समिति को पुनः विचार हेतु भिजवा सकेगा लेकिन अन्तिम निर्णय संचालन समिति का होगा।	**यथावत –अर्थात** क– समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा। ख– **संगम संचालन समिति** के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का हक नहीं होगा। यानि **संगम संचालन समिति** के किसी भी कार्य/निर्णय को लेकर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि समिति के किसी सदस्य को समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय से शिकायत है या वह उससे सहमत नहीं हो तो वह इसके संबंध में संयोजक, से लिखित में इस निर्णय में परिवर्तन हेतु आग्रह कर सकेगा। संयोजक इसे समिति को पुनः विचार हेतु भिजवा सकेगा लेकिन अन्तिम निर्णय संगम संचालन समिति का होगा।

1	**संरक्षक मण्डल के कर्त्तव्य व अधिकार**	– संचालन समिति की गतिविधियों का दृष्टि रखना। – "संगम" के सुचारू संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेना। – संचालन समिति के समय पर निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करना। – समिति के समय पर निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में समिति का संचालन करना। – समिति के संयोजक के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर उचित निर्णय लेना।	विलोपित
2	**संयोजक के कर्त्तव्य व अधिकार**	(क) **संचालन समिति** की सभाओं का संचालन करना। (ख) **संचालन समिति** में प्रस्ताव पर निर्णय हेतु समान मत आने पर अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। (ग) गत सभा की कार्यवाही एवं मासिक आय–व्यय लेखे पर संचालन समिति के समर्थन के पश्चात् हस्ताक्षर करना होगा। (ड) संस्था के तत्वावधान में जो भी कार्य हो उन समस्त कार्यो की समीक्षा करना होगा और संस्था की निर्धारित नीति का अनुकरण करना होगा। (च) संस्था के वैतनिक कर्मचारियों को नियमबद्ध व अनुशासित करना होगा। (छ) दोषी कर्मचारी को उसके दोष के पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् आर्थिक दंड देने तथा अस्थायी पृथक्करण करने का अधिकार होगा। स्थायी पृथक्करण के लिये संचालन समिति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (ज) समिति द्वारा स्वीकृति कर्मचारियों के स्थान पूर्ति करके समिति को अवगत कराना होगा तथा नये स्थान की स्वीकृति स्थान पूर्ति से पूर्व लेनी होगी। (झ) समिति की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो उसको, उसके प्रति क्षमा–याचना करने, अपने शब्द वापिस करने अथवा आज्ञा अस्वीकार करने पर सभा स्थान छोडने का आदेश अध्यक्ष दे सकेगा। उस सदस्य को संयोजक की आज्ञा का पालन करना होगा। (ञ) संस्था के आय–व्यय संतुलन का ध्यान रखना होगा। (ट) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से एक वर्ष में 50000/– तक के व्यय की स्वीकृति दे सकेगा।	**संशोधन – अर्थात** (क) **संगम संचालन समिति** की सभाओं का संचालन करना। (ख) **संगम संचालन समिति** में प्रस्ताव पर निर्णय हेतु समान मत आने पर अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। (ग) गत सभा की कार्यवाही एवं मासिक आय–व्यय लेखे पर संगम संचालन समिति के समर्थन के पश्चात् हस्ताक्षर करना होगा। (ड) संस्था के तत्वावधान में जो भी कार्य हो उन समस्त कार्यो की समीक्षा करना होगा और संस्था की निर्धारित नीति का अनुकरण करना होगा। (च) संस्था के वैतनिक कर्मचारियों को नियमबद्ध व अनुशासित करना होगा। (छ) दोषी कर्मचारी को उसके दोष के पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् आर्थिक दंड देने तथा अस्थायी पृथक्करण करने का अधिकार होगा। स्थायी पृथक्करण के लिये संगम संचालन समिति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (ज) संगम संचालन समिति द्वारा स्वीकृति कर्मचारियों के स्थान पूर्ति करके समिति को अवगत कराना होगा तथा नये स्थान की स्वीकृति स्थान पूर्ति से पूर्व लेनी होगी। (झ) संगम संचालन समिति की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो उसको, उसके प्रति क्षमा–याचना करने, अपने शब्द वापिस करने अथवा आज्ञा अस्वीकार करने पर सभा स्थान छोडने का आदेश अध्यक्ष दे सकेगा। उस सदस्य को संयोजक की आज्ञा का पालन करना होगा। (ञ) संस्था के आय–व्यय संतुलन का ध्यान रखना होगा। (ट) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से एक वर्ष में 50000/– तक के व्यय की स्वीकृति दे सकेगा। **जिसकी पुष्टि संगम संचालन समिति से करानी होगी ।**
3	**सह–संयोजक के कर्त्तव्य व अधिकार**	संयोजक को आवश्यकतानुसार सहयोग देना होगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य करना होगा।	**यथावत – अर्थात** संयोजक को आवश्यकतानुसार सहयोग देना होगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य करना होगा।
4	**मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार**	–संस्था के प्रमाण–पत्रों व अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को बैंक में तथा अन्य लिखित पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखना होगा। –संस्था संबंधी पत्र–व्यवहार करना होगा। –सभी के परामर्श के साथ संस्था के वार्षिक आय–व्यय के काल्पनिक संख्या पत्र की रचना करके उसको बैठक में सदस्यों के विचारार्थ उपस्थित करना एवं समर्थन प्राप्त करना होगा। –प्राप्त आवेदन–पत्रों तथा आंगतुक प्रस्ताव आदि को **समिति** की बैठक में प्रस्तुत करना होगा। –संस्था संबंधी बिलों को संयोजक अथवा **समिति** की स्वीकृति अनुसार कोषाध्यक्ष के माध्यम से चुकाना होगा।	**संशोधन – अर्थात** –संस्था के प्रमाण–पत्रों व अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखना होगा। –संस्था संबंधी पत्र–व्यवहार करना होगा। –सभी के परामर्श के साथ संस्था के वार्षिक आय–व्यय के काल्पनिक संख्या पत्र की रचना करके उसको बैठक में सदस्यों के विचारार्थ उपस्थित करना एवं समर्थन प्राप्त करना होगा। –प्राप्त आवेदन–पत्रों तथा आंगतुक प्रस्ताव आदि को **संगम संचालन समिति** की बैठक में प्रस्तुत करना होगा। –संस्था संबंधी बिलों को संयोजक अथवा **संगम संचालन समिति** की स्वीकृति अनुसार कोषाध्यक्ष के माध्यम से चुकाना होगा। –संस्था के निमित्त स्वाधिकार से 10000/– रू तक व्यय की स्वीकृति दे सकेगा। –वैततिक कर्मचारियों को नियमबद्ध रखना होगा तथा दोषी को चेतावनी दे सकेगां।

		–संस्था के निमित्त स्वाधिकार से 10000/– रू तक व्यय की स्वीकृति दे सकेगा। –वैतनिक कर्मचारियों को नियमबद्ध रखना होगा तथा दोषी को चेतावनी दे सकेगां। – गंभीर समस्याओं को संयोजक के समक्ष रखना होगा। – बैंक से समिति तथा अध्यक्ष के आदेशानुसार व्यवहार करना होगा। – संस्था की प्रगति का पूर्णतया ध्यान रखते हुये त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करना होगा। – संस्था के कार्यो के प्रति आपत्ति आने पर उस पर संयोजक का तत्काल ध्यान आकर्षित कराना होगा। – हिसाबी वर्ष अप्रैल से मार्च तक के लेखों का यथाशीघ्र अंकेक्षण (ऑडिट) करा कर समिति को सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा। – भवन को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकता होने पर परिवर्तन या परिवर्धन, संबंधी सुझाव संचालन समिति में रखना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्पादन कराना होगा। – विभिन्न कार्यक्रमों के लिये स्थानादि की सुव्यवस्था करनी होगी। – भवन संबंधी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रखना होगा। दोषी की सूचना संयोजक को देकर उचित कार्यवाही करानी होगीं। – भावी निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं लेखा रखना होगा। व्यय आदि समिति की आज्ञानुसार करना होगा। – नवीन सुझाव समिति के समक्ष रखने होंगे। – भवन का किराया आदि वसूल करके अर्थ मंत्री के पास जमा कराना होगा। – **समिति** के आदेशानुसार भवन का उपयोग होता रहे इसका ध्यान रखना होगा। – संस्था के भवन पर किसी पडौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रोकना होगा। अगर आवश्यक हो तो कानूनी कार्यवाही समिति की अनुमति से तत्काल करना जिसके लिये कानूनी सलाहकार की सेवाएं संस्था के खर्चे से प्राप्त करने का अधिकार होगा।	– गंभीर समस्याओं को संयोजक के समक्ष रखना होगा। – बैंक से समिति तथा अध्यक्ष के आदेशानुसार व्यवहार करना होगा। – संस्था की प्रगति का पूर्णतया ध्यान रखते हुये त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करना होगा। – संस्था के कार्यो के प्रति आपत्ति आने पर उस पर संयोजक का तत्काल ध्यान आकर्षित कराना होगा। – हिसाबी वर्ष अप्रैल से मार्च तक के लेखों का यथाशीघ्र अंकेक्षण (ऑडिट) करा कर संगम संचालन समिति को सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा। – भवन को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकता होने पर परिवर्तन या परिवर्धन, संबंधी सुझाव संगम संचालन समिति में रखना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्पादन कराना होगा। – विभिन्न कार्यक्रमों के लिये स्थानादि की सुव्यवस्था करनी होगी। – भवन संबंधी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रखना होगा। दोषी की सूचना संयोजक को देकर उचित कार्यवाही करानी होगीं। – भावी निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं लेखा रखना होगा। व्यय आदि समिति की आज्ञानुसार करना होगा। – नवीन सुझाव संगम संचालन समिति के समक्ष रखने होंगे। – भवन का किराया आदि वसूल करके कोषाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा। – **संगम संचालन समिति** के आदेशानुसार भवन का उपयोग होता रहे इसका ध्यान रखना होगा। – संस्था के भवन पर किसी पडौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रोकना होगा। अगर आवश्यक हो तो कानूनी कार्यवाही संगम संचालन समिति की अनुमति से तत्काल करना जिसके लिये कानूनी सलाहकार की सेवाएं संस्था के खर्चे से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5	**कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार**	– संस्था के निमित्त अर्थ संग्रह करना। – अर्थ वृद्धि का सतत् प्रयत्न कराना होगा। – आर्थिक सहायता देने वालों का सूची–पत्र विगतवार रखना होगा। – संग्रहित धन को समय पर बैंक में जमा करवाना। – आर्थिक स्थिति से समय समय पर संयोजक एवं मंत्री को अवगत करना। – मासिक एवं वार्षिक विवरण बनाना होगा। – वचन भंग करने वाले तथा विलम्ब करने वाले दाताओं को प्रेरणा से सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करा तथा संयोजक को अवगत कराना होगा। – आगामी वर्ष की अनुमानित आय–व्यय की रचना करके मंत्री के माध्यम से **समिति** से स्वीकृत कराना होगा। – लेन–देन स्वीकृति के पत्र **समिति** के निर्णयानुसार कार्यान्वित करना होगा। –संस्था की आय–व्यय का लेखा पूर्णतया रखना होगा वर्षान्त पर वार्षिक लेखा बनाकर उसकी जांच प्रमाणित लेखा अंकेक्षक द्वारा कराकर उसका प्रमाण–पत्र लेखे सहित संयोजक के पास उपस्थित करना होगा। मासिक लेखे पर संयोजक के हस्ताक्षर भी होंगे। – व्यय के निमित्त स्वीकृति के आधार पर रूपया निकालना ।	**संशोधन – अर्थात** – संस्था के निमित्त अर्थ संग्रह करना। – अर्थ वृद्धि का सतत् प्रयत्न कराना होगा। – आर्थिक सहायता देने वालों का सूची–पत्र विगतवार रखना होगा। – संग्रहित धन को समय पर बैंक में जमा करवाना। – आर्थिक स्थिति से समय समय पर संयोजक एवं मंत्री को अवगत करना। – मासिक एवं वार्षिक विवरण बनाना होगा। – वचन भंग करने वाले तथा विलम्ब करने वाले दाताओं को प्रेरणा से सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करा तथा संयोजक को अवगत कराना होगा। – आगामी वर्ष की अनुमानित आय–व्यय की रचना करके मंत्री के माध्यम से **संगम संचालन** समिति से स्वीकृत कराना होगा। – लेन–देन स्वीकृति के पत्र **संगम संचालन** समिति के निर्णयानुसार कार्यान्वित करना होगा। –संस्था की आय–व्यय का लेखा पूर्णतया रखना होगा वर्षान्त पर वार्षिक लेखा बनाकर उसकी जांच प्रमाणित लेखा अंकेक्षक द्वारा कराकर उसका प्रमाण–पत्र लेखे सहित संयोजक के पास उपस्थित करना होगा। मासिक लेखे पर संयोजक के हस्ताक्षर भी होंगे।

		– लेन–देन, स्वीकृति आदि लिखित पत्रों द्वारा कार्यान्वित करना होगा। – 25000/–रूपये तक की राशि अपने पास रखने एवं अतिरिक्त प्राप्त राशि 5 दिन की अवधि में बैंक में जमा कराना होगा।	– व्यय के निमित्त स्वीकृति के आधार पर रूपया निकालना । – लेन–देन, स्वीकृति आदि लिखित पत्रों द्वारा कार्यान्वित करना होगा। – 25000/–रूपये तक की राशि अपने पास रखने एवं अतिरिक्त प्राप्त राशि 5 दिन की अवधि में बैंक में जमा कराना होगा।
6	**सदस्यों के कर्त्तव्य व अधिकार**	–**समिति** में प्रत्येक उपस्थित विषय का पूर्णतया विचार–विमर्श एवं अनुसंधान करने के पश्चात् पक्षपात रहित शान्त और स्वस्थ चित्त से संस्था का हित सर्वदा समक्ष रखते हुये न्याय–संगत निर्णय देना होगा। जिससे संस्था एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का किसी प्रकार अनहित न हो सके और कार्य– संचालन में बाधा न हो। – **समिति** में सबको परस्पर सम्मान, सद्व्यवहार एवं प्रेम के साथ कार्य करना होगा और संयोजक की आज्ञा का पालन करना होगा। – संस्था के निर्धारित नियमों का सर्वथा पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले को उपस्थित सदस्यों के सामूहिक निर्णय का पालन करना होगा। – प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत मत दे सकेगा और नियमानुसार प्रस्ताव कर सकेगा। – कोई सदस्य न रहना चाहे तो उसको लिखित त्यागपत्र **समिति** में देना होगा और उसका निर्णय प्राप्त करके पृथक हो सकेगा। – परस्पर सहयोग की भावना हृदय में रखकर कार्य करना होगा।	**संशोधन –अर्थात** – **संगम संचालन समिति की सभी बैठकों में भाग लेकर** समिति में प्रत्येक उपस्थित विषय का पूर्णतया विचार विमर्श एवं अनुसंधान करने के पश्चात् पक्षपात रहित शान्त और स्वस्थ चित्त से संस्था का हित सर्वदा समक्ष रखते हुये न्याय–संगत निर्णय देना होगा। जिससे संस्था एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का किसी प्रकार अनहित न हो सके और कार्य–संचालन में बाधा न हो। – **संगम संचालन** समिति में सबको परस्पर सम्मान, सद्व्यवहार एवं प्रेम के साथ कार्य करना होगा और संयोजक की आज्ञा का पालन करना होगा। – संस्था के निर्धारित नियमों का सर्वथा पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले को उपस्थित सदस्यों के सामूहिक निर्णय का पालन करना होगा। – प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत मत दे सकेगा और नियमानुसार प्रस्ताव कर सकेगा। – कोई सदस्य न रहना चाहे तो उसको लिखित त्यागपत्र **संगम संचालन** समिति में देना होगा और उसका निर्णय प्राप्त करके पृथक हो सकेगा। – परस्पर सहयोग की भावना हृदय में रखकर कार्य करना होगा।

दिनांक 14सितम्बर,2014 को आयोजित आमसभा में पारित
विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास का विधान
दिनांक 22.09.2019 को आयोजित परिषद कार्यकारिणी की बैठक में पुनः प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन

क0सं0	मद	विधमान	प्रस्तावित संशोधन
1.	नाम	इस कोष का नाम "श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास" होगा तथा इसका संचालन विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जावेगा।	**यथावत –अर्थात** इस कोष का नाम "श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास" होगा तथा इसका संचालन विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जावेगा।
2.	कार्यक्षेत्र	इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रान्त होगा।	**यथावत– अर्थात** इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रान्त होगा ।
3.	कार्यालय	इसका प्रधान कार्यालय विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के **वर्तमान अध्यक्ष के निवास पर** होगा। आवश्यकतानुसार इसकी शाखायें राजस्थान के किसी भी भाग में संभागीय/जिला स्तर पर खोली जा सकेंगी।	**संशोधन – अर्थात** "न्यास" का प्रधान कार्यालय "संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, जयपुर पर होगा । आवश्यकतानुसार इसकी शाखायें राजस्थान के किसी भी भाग में संभागीय/जिला स्तर पर खोली जा सकेंगी।
4.	उद्देश्य	इसका उद्देश्य परिषद सदस्यों एवं उनके परिवारजन को प्राथमिकता देते हुये समाज के सभी ऐसे– 1–विधवा महिलाओं एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 2–जरूरतमन्द व प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्र वृत्तियां देना। 3–असाध्य रोग से पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना। 4–देवीय विपत्ति से पीडित व्यक्तियों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता देना।	**संशोधन – अर्थात** "न्यास" का उद्देश्य विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद सदस्यों एवं उनके परिवारजन को प्राथमिकता देते हुये विजयवर्गीय समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जरूरतमंद– 1–विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करना । 2–असाध्य रोग से पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना । 3–छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदान करना । 4–व्यक्तियों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
5.	**न्यास का स्थाई स्वरूप (गठन) :**	न्यास को ा के विधान की धारा 4 में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न प्रकार से स्थाई समिति प्रभाव में रहेगी:– क– परिषद के संस्थापक अध्यक्ष –संयोजक ख– परिषद के अध्यक्ष –सह–संयोजक ग– परिषद के को ाध्यक्ष –सदस्य घ– प्रथम दानदाता श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय(बसवा निवासी), भोपाल द्वारा उनके परिवार के दो नामित व्यक्ति इस न्यास के स्थाई सदस्य होंगे– 1–श्री प्रमोद विजयवर्गीय (न्यासी) 2–श्री राकेश कुमार विजयवर्गीय (न्यासी) ड–द्वितीय दानदाता श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता(नारायणपुर निवासी),टोंक फाटक, जयपुर द्वारा उनके परिवार का एक नामित व्यक्ति इस न्यास के स्थाई सदस्य होंगे– 1–श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय (न्यासी)	**संशोधन – अर्थात** "न्यास" के विधान कमांक 4 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास का संचालन एक पॉच सदस्सीय समिति जिसे संचालन समिति कहा जावेगा, द्वारा किया जावेगा। संचालन समिति जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, का स्वरूप निम्नानुसार होगा– 1–संयोजक 1 पद 2–सह–संयोजक 1 पद 3–सचिव 1 पद 4–कोषाध्यक्ष 1 पद 5–सदस्य 1 पद क– संचालन समिति का संयोजक विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद का अध्यक्ष होगा । जिसे न्यास की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। परिषद अध्यक्ष द्वारा जब तक न्यास की सदस्यता नहीं लेता है उस स्थिति में सह–संयोजक (न्यासी) संयोजक का

		च– परिषद के महासचिव –सदस्य सचिव उपरोक्त स्थाई समिति आवेदकों से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित कर अन्तिम निर्णय हेतु अधिकृत होगी।	कार्य करेगा एवं उसे संयोजक के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे । ख– संचालन समिति का सह–संयोजक न्यास में सर्वाधिक राशि का अनुदान देने वाले प्रथम एवं द्वितीय दानदाताओं द्वारा नामित परिवार के सदस्य के रूप में से किया जावेगा। ग– संचालन समिति के सचिव, कोषाध्यक्ष एवं एकसदस्य पद पर मनोनयन इस समिति के संयोजक द्वारा सभी दानदाताओं (न्यासी) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों में से किया जोवगा। घ–उपरोक्त संचालन समिति आवेदकों से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित कर अन्तिम निर्णय हेतु अधिकृत होगी।
6.	**न्यास की सदस्यताः**	परि ाद/समाज का कोई भी व्यक्ति जो– **क–स्थाई सदस्यः** एक लाख रूपये या अधिक की राशि देने वाले न्यास के स्थाई सदस्य होंगे। **ख–अस्थाई सदस्यः** परि ाद/समाज का कोई भी व्यक्ति जो– 1– 50 हजार रूपये से अधिक एवं एक लाख रूपये से कम राशि देने वाले न्यास के अस्थाई सदस्य होंगे जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। 2– 20 हजार रूपये से अधिक एवं 50 हजार रूपये से कम राशि देने वाले न्यास के अल्पकालीन अस्थाई सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष होगा।	**संशोधन –अर्थात** क–स्थाई सदस्यः 1– रूपये 50 हजार या अधिक राशि देने वाले विजयवर्गीय समाज का व्यक्ति न्यास का स्थाई (आजीवन) सदस्य होगा जो न्यासी कहलायेंगे । 2–स्थाई सदस्य के निधन होने की स्थिति में उनके परिवार का वरिष्ठ सदस्य न्यास का स्थाई (आजीवन) सदस्य रहेगा । ख–अस्थाई सदस्य –विलोपित
7.	**न्यास की निधि**	1–न्यास की निधि किसी भी रा ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी। 2–प्रथमतः इस निधि की मूल राशि खर्च न की जाकर ब्याज राशि का उपयोग न्यास की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये खर्च की जावेगी।	**संशोधन –अर्थात** 1– न्यास की निधि किसी भी रा ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी। 2–इस निधि की मूल राशि खर्च न की जाकर प्राप्त समस्त राशि की एफडी कराई जाकर उससे प्राप्त ब्याज राशि का उपयोग न्यास की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये खर्च की जावेगी।
8.	**वर्ष**	1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की 12 मास की समयावधि न्यास का वर्ष कहलायेगी।	**यथावत–अर्थात** 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की 12 मास की समयावधि न्यास का वर्ष कहलायेगी।
9.	**सदस्यता राशि देने का प्रकार**	परिषद/समाज का कोई भी सदस्य अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के नाम से राशि जमा करा सकते है परन्तु न्यास का सदस्य उनमें से केवल एक ही रहेगा। उसके रिक्त स्थान की पूर्ति उसी परिवार के सदस्यों द्वारा नामित व्यक्ति से की जा सकेगी।	विलोपित
10.	**बैठक एवं कोरम**	क–स्थाई न्यास की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। ख–बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 रहेगा। ग–स्थगित बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी।	**संशोधन –अर्थात** मद का नाम बैठक एवं कोरम के स्थान पर ''न्यास की आम सभा'' किया जाये 1–न्यास की आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी । 2–बैठक का कोरम कुल न्यास सदस्यों की संख्या का 1/3 रहेगा । 3–स्थगित बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

11.	**न्यास संचालन समिति की बैठक व कोरम**	नया बिन्दु	**नया बिन्दु अर्थात** 1–न्यास संचालन समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठक होगी। 2–बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी । 3–आवश्यकतानुसार न्यास संचालन समिति की कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी। 4–न्यास संचालन समिति न्यास की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये पात्र व्यक्ति,राशि व अवधि का निर्धारण कर सकेगी।
12.	**अधिकार एवं कर्तव्य**	क–स्थाई न्यास सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न होगी। ख–स्थाई न्यास कोष वृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहेगा। ग–वार्षिक बजट स्वीकृत करेगा। घ–उद्दश्यों की पूर्ति हेतु न्यास विधान में 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकेगी।	**यथावत –अर्थात** क–स्थाई न्यास सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न होगी। ख–स्थाई न्यास कोष वृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहेगा। ग–वार्षिक बजट स्वीकृत करेगा। घ–उद्दश्यों की पूर्ति हेतु न्यास विधान में 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकेगी।
13.	**उद्देश्य पूर्ति**	न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में आर्थिक सहयोग, सहायता तथा अनुदान प्रदान करने के लिये निम्नांकित प्रणालियों से किसी एक का अनुसरण किया जायेगा– क–विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के पदाधिकारियों की सिफारिश पर। ख–परिषद/समाज की विधानान्तर्गत निर्वाचित इकाईयों के पदाधिकारियों की सिफारिश पर।	**संशोधन –अर्थात** न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में आर्थिक सहयोग, सहायता तथा अनुदान प्रदान करने के लिये निम्नांकित प्रणालियों से किसी एक का अनुसरण किया जायेगा– क–विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के पदाधिकारियों की सिफारिश पर। ख–परिषद/समाज की विधानान्तर्गत निर्वाचित इकाईयों के पदाधिकारियों की सिफारिश पर। ग–न्यास संचालन समिति के संयोजक एवं न्यासी की सिफारिश पर ।
14.	**सदस्यता से वंचित करना**	यदि कोई सदस्य न्यास के नियमों का उल्लंघन करें अथवा उसके कार्यो में बाधा उत्पन्न करें तो स्थाई न्यास 2/3 बहुमत से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी परन्तु कानूनी दृष्टि से अपात्रता अर्जन करने की स्थिति में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जायेगी।	**संशोधन –अर्थात** यदि कोई सदस्य न्यास के नियमों का उल्लंघन करें अथवा उसके कार्यो में बाधा उत्पन्न करें तो **न्यास की आम सभा** में 2/3 बहुमत से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी परन्तु कानूनी दृष्टि से अपात्रता अर्जन करने की स्थिति में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जायेगी।
15.	**रिक्त स्थान की पूर्ति**	स्थाई न्यास के स्थाई/अस्थाई/अल्पकालीन सदस्यों हेतु नामित व्यक्ति में से किसी के निधन अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुये स्थान की पूर्ति उनके द्वारा अन्य व्यक्ति को नामित कर इसकी पूर्ति की जावेगी।	**संशोधन –अर्थात** न्यास के सदस्यों द्वारा नामित व्यक्ति में से किसी के निधन अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुये स्थान की पूर्ति उनके द्वारा अन्य व्यक्ति को नामित कर इसकी पूति की जावेगी।
16.	**बैंक से सम व्यवहार करने की अधिकार**	बैंक से धनराशि परिषद के अध्यक्ष या मंत्री एवं कोषाध्यक्ष किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाली जा सकेगी।	**संशोधन –अर्थात** बैंक से धनराशि का संधारण न्यास संचालन समिति के संयोजक, सचिव व कोषाध्यक्ष में किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा ।
17.	**न्यास का अंकेक्षण**	परिषद के विधान के अन्तर्गत इस न्यास कोष का भी अंकेक्षण कराया जावेगा।	**यथावत–अर्थात** परिषद के विधान के अन्तर्गत इस न्यास कोष का भी अंकेक्षण कराया जावेगा।
18.	**न्यास की समाप्ति**	किसी कारणवश यदि न्यास का उद्देश्य सफल नहीं हो एवं विधि सम्मत ढंग से इसका संचालन संभव नहीं हो तो न्यास भंग करने की घोषणा स्थाई न्यास अपने	**संशोधन –अर्थात** किसी कारणवश यदि न्यास का उद्देश्य सफल नहीं हो एवं विधि सम्मत ढंग से इसका संचालन संभव नहीं हो तो न्यास भंग करने की घोषणा न्यास की आमसभा में

		2/3 बहुमत से करेगी। ऐसी स्थिति में न्यास की निधि की स्वामिनी परिषद होगी। किन्तु वह भी इस निधि का प्रयोग केवल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही कर सकेगी। किसी भी अवस्था में न्यास की निधि का उपयोग न्यासियों के लाभार्थ ही कर सकेगी।	2/3 बहुमत से करेगी। न्यास भंग होने की स्थिति में न्यास निधि की शेष राशि संबंधित न्यासियों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को उनके द्वारा दिये गये दान के अनुपात में लौटा दी जावेगा।
19.	**पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार**	नया	**संयोजक–** 1–न्यास की आम सभा व संचालन समिति बैठक की अध्यक्षता करेगा। 2–आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक आमत्रित करेगा। 3–न्यास के कार्य संचालन एवं कोष वृद्धि हेतु हर संभव प्रयास करेगा। 4–संचालन समिति के निर्णयों को कियान्वित करेगा तथा करावेगा। 5– अपने कार्यकाल की अवधि समाप्ति के 3 माह पूर्व नई न्यास संचालन समिति हेतु स्थाई सदस्यों में से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे । **सह–संयोजक–** 1–संयोजक की अनुपस्थिति में संयोजक का कार्य करेगा । 2–संयोजक द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वहन करेगा । **मंत्री–** 1–न्यास का सम्पूर्ण रिकार्ड व्यवस्थित रखेगा । संयोजक की आज्ञा से न्यास संचालन समिति एवं न्यास आम सभा की बैठक आमंत्रित करेगा । 2–न्यास की ओर से आवश्यक समस्त पत्र व्यवहार करेगा। 3–न्यास के हित में समस्त आवश्यक कार्य संपादित करेगा। 4–न्यास की गतिविधियों एवं प्रगति का विवरण प्रतिवर्ष न्यास आम सभा के सम्मुख रखेगा। **कोषाध्यक्ष–** 1–न्यास कोष के समस्त हिसाब का विवरण रखेगा तथा प्रतिवर्ष उसका अंकेक्षण करवायेगा। 2–न्यास संचालन समिति को हिसाब से अवगत कराता रहेगा । 3–कोष की वृद्वि के लिये प्रयास करेगा । 4–प्रतिवर्ष न्यास आम सभा के समक्ष न्यास का अंकेक्षित आय–व्यय प्रस्तुत करेगा । **सदस्य–** 1–न्यास संचालन समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होकर अपना अभिमत रखेगा।

VIJAY VERGIYA (VAISHYA) RAJSEVAK PARISHAD,JAIPUR

INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2018

Expenses	Amount	Income	Amount
To Bank Charges	247.35	By Donation	10900.00
To Meeting Exp.	14412.00	By Membership Fees	25400.00
To Office Exp.	3410.00	By Interest on SB A/c	88458.00
To Electricity Exp.	4686.00	By Interest on FDR	49969.00
To Ramcharan Jayanti Samoroh	5500.00	By Advertisement	3100.00
To Printing & Stationery Exp.	2110.00		
To Salary	82225.00		
To Water Exp.	16298.00		
To Website Exp.	27800.00		
To Surplus	20138.65		
	177827.00		177827.00

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2018

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
Capital Fund		200441.85	**Fixed Assets**	
Op.Balance	172723.20		Building Under Construction	14611599.00
Add: Refund	7580.00		Land	2538056.00
Add: Surplus	20138.65		FDR	700000.00
			Accured Interest on FDR	90960.00
Life Membership Fund		167900.00	Advance to Colonizer (for Land)	12000.00
Hitkari Kosh		702000.00	Keshav Ram Vijay	11000.00
Land & Building Fund		17503500.10	B.R.Gupta Nirman Nagar	21000.00
TDS Payable		6420.00	Dinesh Kumar Vijay	21000.00
			Chiranji Lal Vijay Katewa Ngr	25000.00
			Ram Swroop Vijay Ajmer Road	11000.00
			Bal Mukund Vijay Vaisali Ngr	78000.00
			Badri Narayan Thekedar(TDS)	13195.00
			Hajari Lal Meena(TDS)	1650.00
			Heera Lal Bairwa(TDS)	800.00
			Balu Ram Choudhary	6420.00
			Tds	17696.00
			Cash & Bank Balances	
			The Bank of Raj. Ltd.	8900.00
			SBBJ	293924.84
			Co-Operative Bank	70037.00
			Axis Bank Ltd.	27470.6
			Cash in Hand	20553.50
		18580261.95		18580261.95

Notes on Accounts Schedule-1

In terms of our attached report of even date

For Vijayvargiya (Vaishya) Rajsevak Parishad

(Rajendra Pd.Vijay) President

(Shiv Kumar Vijay) Secretary

(Narendra Babu Vijay) Treasurar

For R.P.Vijay & Company
Chartered Accountants

(Ram Prakash Vijay)
Partner
M.No. 078586

Place : Jaipur
Date : 16.10.2018

(GP)

VIJAY VERGIYA (VAISHYA) RAJSEVAK PARISHAD,JAIPUR

INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2019

Expenses	Amount	Income	Amount
To Advertisement Exp.	5800.00	By Donation	15700.00
To Bank Charges	365.80	By Membership Fees	84700.00
To Donation paid	9400.00	By Interest on SB A/c	17279.00
To Office Exp.	2620.00	By Interest on FDR	66034.00
To Printing & Stationery Exp.	33893.00	By Prayas Prog. Receipts	79500.00
To Garden Exp.	29890.00	By Misc.Receipt	2800.00
To Saneh Milan Samaroh Exp.	18246.00		
To Sapath Grahan Samaroh Exp.	49156.00		
To Watchman Salary Exp.	29000.00		
To Prayas Prog. Exp.	59277.00		
To Website Exp.	5800.00		
To Surplus	22565.20		
	266013.00		266013.00

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
Capital Fund		223007.05	**Fixed Assets**	
Op.Balance	200441.85		Building Under Construction	17735106.00
Add: Surplus	22565.20		Land	2538056.00
	223007.05		FDR	950000.00
			Accured Interest on FDR	88296.00
			Advance to Colonizer (for Land)	12000.00
Unsecured Loan		1450000.00		
			Sitaram Vijay Sitabari	21000.00
Life Membership Fund		167900.00	Narendra Kumar Gupta	100000.00
Hitkari Kosh		614000.00	Ram Swroop Vijay Ajmer Road	11000.00
Land & Building Fund		20396477.10	Bal Mukund Vijay Vaisali Ngr	24000.00
TDS Payable		500.00	Harish Babu Vijay	25000.00
			Ashok Kr.Vijay Sanganer Samiti	2900.00
			Badri Narayan Thekedar(TDS)	13195.00
			Hajari Lal Meena(TDS)	1650.00
			Heera Lal Bairwa(TDS)	800.00
			Balu Ram Choudhary	5000.00
			Manoj Kr Kumawat (Cont. Adv.)	732250.00
			Tds	24273.00
			Cash & Bank Balances	
			The Bank of Raj. Ltd.	8900.00
			SBI,SEC.Br.	21127.84
			Co-Operative Bank	50765.00
			Axis Bank Ltd.	472869.81
			Cash in Hand	13695.50
		22851884.15		22851884.15

Notes on Accounts — Schedule-1

In terms of our attached report of even date

For Vijayvargiya (Vaishya) Rajsevak Parishad

(Shiv Kumar Vijay) Secretary

(Narendra Babu Vijay) Treasurar

For R.P.Vijay & Company
Chartered Accountants

(Ram Prakash Vijay)
Partner
M.No. 078586

Place : Jaipur
Date : 30.10.2019

VIJAY VERGIYA (VAISHYA) RAJSEVAK PARISHAD,JAIPUR

INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2020

Expenses	Amount	Income	Amount
To Bank Charges	1132.80	By Donation Received	206075.00
To Salary	87000.00	By Membership Fees	16500.00
To Office Exp.	1056.00	By Interest on SB A/c	10624.00
To Printing & Stationery Exp.	17000.00	By Interest on FDR	67182.00
To Holi Milan Samaroh Exp.	105458.00	By Holi Milan Samaroh Recept	79100.00
To Sangam Samaroh Exp.	212310.00	By Sangam Samaroh Receipt	99000.00
To Sangam Samu.Kendra Exp.	18081.00	By Interest on IT Refund	784.00
To Telephone Exp.	6529.00		
To Water Exp.	7700.00	**By Deficit**	**108845.80**
To Widow Pension Exp.	125000.00		
To Website Exp.	6844.00		
	588110.80		**588110.80**

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
Capital Fund		106581.25	**Fixed Assets**	
Op.Balance	223007.05		Building Under Construction	21396570.00
Less: Deficit	108845.80		Land	2538056.00
	114161.25		FDR	950000.00
Less: I.Tax Refund	7580.00		Accured Interest on FDR	93726.00
			Advance to Colonizer (for Land)	12000.00
Land & Building Fund		22866530.10	**Sundry Receivables**	114233.00
Life Membership Fund		167900.00	(As Per Annexure -B)	
Hitkari Kosh		614000.00		
Unsecured Loan		1145000.00	Tds Receivable	13274.00
(As per Annexure- A)				
			Cash & Bank Balances	
TDS Payable		14838.00	The Bank of Raj. Ltd.	8900.00
Balram Gurjar		197984.00	SBI,SEC.Br.	7308.84
R.N.Technologies		294000.00	Co-Operative Bank	60503.00
			Axis Bank Ltd.	185308.01
			Cash in Hand	26954.50
		25406833.35		**25406833.35**

Notes on Accounts Schedule-1

In terms of our attached report of even date

For Vijayvargiya (Vaishya) Rajsevak Parishad

For R.P.Vijay & Company
Chartered Accountants

R.P.VIJAY & CO. JAIPUR Chartered Accountants

(Rajendra Pd.Vijay) President | **(Shiv Kumar Vijay)** Secretary | **(Narendra Babu Vijay)** Treasurar

(Ram Prakash Vijay)
Partner
M.No. 078586

Place : Jaipur
Date : 05.01.2021

VIJAY VERGIYA (VAISHYA) RAJSEVAK PARISHAD,JAIPUR

F.Y. 2019-2020

Annexure-A

List of Unsecured Loans as on 31.03.2020

S.No.	Name of party	Amount
1	Akhilesh Vijay	100000.00
2	Anand Kumar Vijay	50000.00
3	Chandmal Vijay	100000.00
4	Lallu Lal Vijay	50000.00
5	Nandkishor Vijay	300000.00
6	Radhey Shyam Vijay (Pearl)	100000.00
7	Radhey Shyam Vijay Judge	100000.00
8	Rajandera Prasad Vijayvargiya	300000.00
9	Rajendra prasad Vijay (Widow Pension)	45000.00
		1145000.00

Annexure-B

List of Sundry Receivables as on 31.03.2020

S.No.	Name of party	Amount
1	Sitaram Vijay Sitabari	21000.00
2	Rakesh Vijay s/o R.L.Vijay	5100.00
3	Kishan Chand Vijay P.Nagar	21000.00
4	Jai Prakash Vijay Palawas wale	11000.00
5	K.G.Technologies(TDS)	2000.00
6	Smt. Gunjan(TDS)	7500.00
7	Badri Narayan Thekedar(TDS)	13195.00
8	Sunil Marbles	17938.00
9	Hajari Lal Meena(TDS)	1650.00
10	Heera Lal Bairwa(TDS)	800.00
11	Balu Ram Choudhary	5000.00
12	Manoj Kr Kumawat (Cont. Adv.)	8050.00
		114233.00